**न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), विकासनगर, देहरादून।**
**मूलवाद संख्या–110/2022**
**नवदान्य ट्रस्ट बनाम श्रीमती रामा देवी आदि**

**दिनांक–18.09.2024**

पत्रावली पेश। वाद पुकारा गया। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थनापत्र कागज संख्या–260सी2 पर पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है।

**निस्तारण प्रार्थना–पत्र कागज संख्या–260सी2**

**2.** प्रतिवादीगण/प्रतिदावाकर्तागण की ओर से प्रार्थनापत्र का0सं0 260सी2 इस अभिवाक के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादीगण संलग्न सूची से उक्त वाद से संबंधित दस्तावेज दाखिल कर रहे हैं, जो कि वर्तमान वाद की विषय–वस्तु से जुड़े हैं तथा वर्तमान वाद के प्रभावी निस्तारण हेतु अति आवश्यक व महत्वपूर्ण हैं, जिनको पत्रावली पर ग्रहित किया जाना न्यायहित में है। उक्त दस्तवेज जिला पंचायत देहरादून से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त दस्तावेज हैं। अन्त में प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने की याचना की गयी है।

**3.** उक्त के विरूद्ध वादीगण की ओर से आपत्ति का0सं0 275सी2 इस अभिवाक के साथ दाखिल की गयी है कि कथित प्रार्थनापत्र के माध्यम से प्रस्तुत कथित दस्तावेज को पत्रावली पर लिए जाने का आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही यह प्रदर्शित किया गया है कि उक्त दस्तावेज वर्तमान वाद में किस प्रकार निस्तारण हेतु सहायक हैं। प्रार्थनापत्र साक्ष्य अधिनियम के प्राविधानों के विरूद्ध है एवं मात्र वादीगण को मानसिक रूप से तंग व परेशान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है, जो कि निरस्त होने योग्य है। अन्त में प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने की याचना की गयी है।

**4.** सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

**5.** हस्तगत मामले में पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् विदित है कि हस्तगत वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 01.08.2022 को निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया गया है तथा पत्रावली सुनवायी 6सी2 के स्तर पर नियत है। हस्तगत मामले में पक्षकारों के मध्य मुख्य विवाद रास्ते से संबंधित है। प्रतिवादीगण/प्रतिदावाकर्तागण की ओर से सूची–261सी1 से विवादित रास्ते के निर्माण के संबंध में किए गए पत्राचार इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं एवं प्रार्थनापत्र के माध्यम से उक्त दस्तावेजों को पत्रावली पर ग्रहित किए जाने की याचना की गयी है। उक्त दस्तावेज हस्तगत वाद में वादग्रस्त विषय से संबंधित दस्तावेज हैं, जो कि वाद में विवादग्रस्त विषय के विषदीकरण में सहायक हो सकते हैं। अतः प्रतिवादीगण/प्रतिदावाकर्तागण का प्रार्थना पत्र कागज संख्या 260सी2 स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

प्रतिवादीगण/प्रतिदावाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत कागज संख्या 260सी2 स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार वादीगण की आपत्ति का0सं0 250सी2 निस्तारित की जाती है।

प्रतिवादीगण/प्रतिदावाकर्तागण द्वारा सूची–261सी1 से समर्पित दस्तावेज पत्रावली पर रखे जाए।

पत्रावली वास्ते सुनवायी 6सी2 दिनांक 28.10.2024 को पेश हो।

**दिनांक–18.09.2024**

**(निशा देवी),**
सिविल जज (जू0डि0),
विकासनगर, देहरादून।